रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 388] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 1983/भाद्र 14, 1905
No. 388] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 5, 1983/BHADRA 14, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1983

(इलायची नियंत्रण)

का. आ. 638(अ)—केन्द्रीय सरकार, इलायची नियम, 1966 के नियम 3 के उप-नियम (1) और नियम 5 के उप-नियम (2) के साथ पठित इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पवन चौपड़ा, निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय को श्री आइ. ए. खान के स्थान पर इलायची बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.

का.आ. 809(अ), तारीख 17 नवम्बर, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में, क्रम संख्यांक 4 और पहले स्तम्भ में उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"4. श्री पवन चोपड़ा,
निदेशक,
वाणिज्य मंत्रालय,
नई दिल्ली ।" ।

[फा. सं. 32/31/81-प्लांट (बी.)]

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE
(Deptt. of Commerce)
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 1983

(CARDAMOM CONTROL)

S.O. 638(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (d) of sub-section (3) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965) read with sub-rule (1) of rule 3 and sub-rule (2) of rule 5 of the Cardamom Rules, 1966, the Central Government hereby appoints Shri Pawan Chopra, Director, Ministry of Commerce, as a member of the Cardamom Board Vice Shri I. A. Khan and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 809(E), dated the 17th November, 1982, namely :—

In the Table under the said notification, for serial number 4 and the entry relating thereto in the first column, the following serial number and entry shall be substituted namely :—

"4. Shri Pawan Chopra,
Director,
Ministry of Commerce,
New Delhi."

[File No. 32|31|81-Plant(B)]

O. P. SHARMA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983